Divn. IOP-11095
Acc.
Date 14.3.78

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

105

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1977 (पौष 11, 1898) 15

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1977 (PAUSA 11, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 दिसम्बर 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 8th December 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
226	सं० 122- आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 76 दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 No. 122—I T C(PN)/76 dated the 4th Dec. 1976	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce.	अप्रैल, 1976- मार्च, 1977 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन) । Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1976—March 1977 (Amendment)
227	सं० 123 आई०टी० सी० (पी० एन०)/ 76 दिनांक 6 दिसम्बर, 1976 No. 123—ITC(PN)/76 dated the 6th December, 1976	तदैव Do.	अप्रैल, 1976- मार्च, 1977 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति । Import Policy for Registered Exporters for April 1976—March 1977.
228	सं0 106-प्रेज/76 दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 No. 106—Pres/76, dated the 8th December, 1976.	राष्ट्रपति सचिवालय President's Secretariat	संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विद्वानों को सम्मान-पत्र । Awarding Certificates of Honour to Scholars in Sanskrit, Arabic and Persian

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम माँग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । माँग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	1
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	1
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	1
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	1
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	1

CONTENTS

	Page
Part I—Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
Part I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
Part I—Section 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
Part II—Section 2—Bills and Reports of Select Committees on Bills . .	—
Part II—Section 3—Sub Sec (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
Part II—Section 3—Sub. Sec (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	1
Part III—Section 1—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1
Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	1
Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .	1
Part IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . ..	1

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orde Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Min Defence) and by the Supreme Court]

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी, 1977

नियम

सं० 12/19/76-के० से०-II—अधीनस्थ सेवा आयोग मन्त्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ब' भारतीय विदेश सेवा (बी) के आशुलिपिक उप सवर्ग के ग्रेड-III और संसदीय कार्य विभाग के आशुलिपिक ग्रेड-III के पदो से अस्थायी रिक्तियो को भरने के लिये अप्रैल, 1977 मे ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिये नियम जनसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते है :—

2 विभिन्न सेवाओ मे परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियो की सख्या अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस मे निर्दिष्ट की जाएगी । भारत सरकार द्वारा नियत रिक्तियो के संबध अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के उम्मीदवारो के लिये आरक्षण किए जाएगे ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है, जो निम्नलिखित मे उल्लिखित है —

सविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 सविधान [अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1950 सविधान (अनुसूचित जाति) (सघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 सविधान (अनुसूचित आदिम जाति सघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचिया (सशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा सशोधित किए गए के अनुसार] सविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 सविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह), अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 सविधान (दादरा तथा नागर हवेली), अनुसूचित जाति आदेश, 1962 सविधान (दादरा तथा नागर हवेली), अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1962 सविधान (पाडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,, 1964 सविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश 1967, अनुसूचित जाति आदेश, 1968 सविधान (गोआ, दमन तथा द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और सविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 ।

3 अधीनस्थ सेवा आयोग (परीक्षा स्कध) द्वारा यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट मे निर्धारित पद्धति के अनुसार ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा नियत किए जायेंगे ।

4 नियमित रूप से नियुक्त कोई भी स्थायी या अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, इस परीक्षा मे बैठने तथा आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-'घ' की उन रिक्तियो के लिये ही प्रतियोगिता करने का पात्र होगा जो उनकी लिपिक सेवा के सुसगत अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-'ब' की रिक्तियो के लिये ही प्रतियोगिता कर सकेंगे । सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के ग्रेड-बी की रिक्तियो के लिए ही प्रतियोगिता कर सकेंगे और आई० एफ० एस० (बी) के ग्रेड VI अथवा ग्रेड V के अधिकारी आई० एफ० एस० (बी) के आशुलिपिको के ग्रेड-III के उप सवर्ग की रिक्तियो के लिये ही प्रतियोगिता कर सकेंगे और ससदीय कार्य विभाग के अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक ससदीय कार्य विभाग के ग्रेड-III आशुलिपिक की रिक्तियो के लिये ही प्रतियोगिता कर सकेंगे ।

(1) सेवा की अवधि—उसने निम्नलिखित ग्रेडो मे से किसी भी एक ग्रेड मे एक जनवरी, 1977 को कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो । वर्ग I—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड ।

टिप्पणी—यदि किसी उम्मीदवार को गिनने योग्य कुल सेवा अशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड मे हो तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी ।

टिप्पणी 2—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि सवर्ग पदों मे प्रतिनियुक्ति पर है, यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा मे बैठने के पात्र होगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि.सवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा मे नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड मे फिलहाल कोई पूर्व, ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

टिप्पणी 3—अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड मे नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी सवर्ग से आवटित हो या उसके पश्चात उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड मे दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो ।

वर्ग-II—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड-I ।

टिप्पणी 1—यदि किसी उम्मीदवार की गणनीय सेवा अशत: सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में हो तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा अविरत सेवा की सीमा भी लागू होगी ।

टिप्पणी 2—सशस्त्र सेना मुख्यालय के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि सवर्ग पदो में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्य पात्र हो तो, इस परीक्षा मे बैठने के पात्र होगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि सवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा मे नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का सशस्त्र सेना मुख्यालय का अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

वर्ग-III—भारतीय विदेश सेवा (बी) का ग्रेड VI और/अथवा ग्रेड V

टिप्पणी 1—भारतीय विदेश सेवा (बी) का ग्रेड VI अथवा V के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नि सवर्ग पदो मे प्रति-नियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हो तो, इस परीक्षा मे बैठने के पात्र होगे ।

यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि सवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा मे नियुक्त किया गया है और उस अधिकारी का भारतीय विदेश सेवा 'बी' का ग्रेड-VI तथा V मे निर्णायक तारीख से फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

वर्ग IV—ससदीय कार्य विभाग मे अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक ।

टिप्पणी 1—यदि किसी उम्मीदवार की सगणनीय सेवा अवर ससदीय कार्य विभाग के लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी ग्रेड मे हो तो भी दो वर्ष की अनुमोदित तथा अविरत सेवा की सीमा लागू होगी ।

टिप्पणी 2—ससदीय कार्य विभाग के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नि सवर्ग पदो मे प्रतिनियुक्ति पर हो, यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि सवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा मे नियुक्त किया गया है और यदि उसका ससदीय कार्य विभाग मे लिपिक सेवा मे फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

2 आयु—उसकी 1 जनवरी, 1977 को 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1932 से पहले नही होना चाहिए ।

5 ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मे निम्नलिखित मामलो मे अति-रिक्त छूट दी जायेगी —

(I) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(II) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बगला देश) मे आया हुआ विस्थापित व्यक्ति हो तो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रवजन करके भारत मे आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(III) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रवजन करके भारत मे आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष ।

(IV) यदि उम्मीदवार श्रीलका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या-वर्तित भारतीय देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलका से भारत मे प्रवजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(V) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा श्रीलका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या-वर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलका से भारत मे प्रवजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(VI) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, युगाडा और सयुक्त तजानिया (भूतपूर्व टागानिका और जजीबार), जाम्बिया मलावी, जेरे तथा इथोपिया से प्रवजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(VII) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या-वर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(VIII) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या-वर्तित मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत मे प्रवजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(IX) किसी दूसरे से सघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाको मे फौजी कार्यवाहियो के समय अशक्त हुए तथा उसके परि-णामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिको के लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(X) किसी दूसरे देश मे सघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाको में फौजी कार्यवाहिही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिको के लिये, जो अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित आदिम जातियो मे सबधित हो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(XI) 1971 मे हुए भारत-पाक सघर्ष के दौरान हमलो मे विकलाग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको के मामलो मे अधिकतम तीन वर्ष तक ।

(XII) 1971 से हुए भारत पाक सघर्ष के दौरान हमलो मे विकलांग हुए तथा उनके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिको के मामलो मे अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियो या अनुसूचित आदिम जातियो के हो ।

ऊपर निर्धारित की गई आयु-सीमाओ मे उपर्युक्त शर्तों के अलावा किसी भी मामलो मे ढील नही दी जाएगी ।

6 परीक्षा मे प्रवेश के लिये किसी उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता के सबध मे आयोग का निर्णय अतिम होगा ।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा मे प्रवेश नही करने दिया जायेगा यदि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश-प्रमाण पत्र न हो ।

8 उम्मीदवार को नोटिस के अनुच्छेद 5 मे निर्धारित फीस देनी होगी ।

9 अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधनो द्वारा समर्थन प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार की ओर से कोई प्रयास किये जाने से प्रवेश के लिये उसे अनर्हता किया जा सकेगा ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातो के लिये दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि उसने—

(I) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(II) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(III) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(IV) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमे तथ्यो को बिगाड़ा गया है, अथवा

(V) गलत या झूठे वक्तव्य किए हैं, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(VI) परीक्षा भवन मे प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायो का सहारा लिया है, अथवा

(VII) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(VIII) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(IX) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी सेवा-रत किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा चार विभिन्न सूचियों में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों द्वारा प्रकट होने वाले योग्यता क्रम के अनुसार रखा जायेगा और इसी क्रम में उन उम्मीदवारों का, जिन्हें आयोग परीक्षा द्वारा अर्हक समझा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'घ' सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'घ' भारतीय विदेश सेवा के उप संवर्ग आशुलिपिक ग्रेड-III और संसदीय कार्य विभाग से आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने के लिये निश्चित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिये सिफारिश की जायेगी।

लेकिन यह भी शर्त कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आरक्षित रिक्तियां की संख्या न भरी गई हो तो अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार उसका उस सेवा 1 पद पर नियुक्ति के लिये उपर्युक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिये परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा की ग्रेड-'घ' में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की संख्या का निश्चित करने के लिये सरकार पूर्णत सक्षम है। अत किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, ग्रेड-घ आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के परीक्षा के परिणामों की सूचना का स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जायेगा और आयोग उसके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार यथावश्यक जांच पड़ताल के बाद सन्तुष्ट न हो जाय कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन करने के पश्चात अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देते हैं। अथवा उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, अथवा उसमें विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, 'स्थानान्तरण' पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा (बी) सामान्य संवर्ग में अथवा संसदीय कार्य विभाग के लिपिक पदों में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी नि संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

उम्मीदवारों का अंग्रेजी या हिन्दी में ही परीक्षाएं देनी होंगी एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिन्ट की तथा दूसरी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमश 50 तथा 65 मिन्ट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमश 60 तथा 75 मिनट से लिप्यंतर करना होगा।

आशुलिपिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी —1 जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी से देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपिक और जो उम्मीदवार आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपिक सीखनी आवश्यक होगी।

टिप्पणी— 2 जो उम्मीदवार विदेशों में स्थित किसी भारतीय मिशन से परीक्षा देना चाहते हैं और आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेना चाहते है उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं देने के लिए विदेश से ऐसे भारतीय मिशन में जहां ऐसी परीक्षा लेने के आवश्यक प्रबंध हो, परीक्षा से सम्मिलित होना पड़ेगा।

2. उन उम्मीदवारों का स्थान जो 100 शब्द प्रति मिन्ट पर श्रुतलेख में न्यूनतम अंक स्तर जैसा कि आयोग द्वारा स्वेच्छा से निर्धारित किया जाए पर पास होंगे, उन्हें 80 शब्द प्रति मिन्ट पर श्रुतिलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले कम उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा और उन्हें प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक उम्मीदवार का दिये गये कुल अंकों द्वारा प्रकट परस्पर योग्यताक्रम से रखा जाएगा।

3. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 1976

सं० 9/78/71-जी० पी० ए०-II(III)—इस मंत्रालय के दिनांक 27 अगस्त, 1969 की अधिसूचना सं० 9/11/69-पी-4, के आंशिक संशोधन में तथा राष्ट्रपति सचिवालय की तारीख 23 फरवरी, 1962 की अधिसूचना सं० 30-प्रेज/62 के अधीन दिनांक 3 मार्च, 1962 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित, पुलिस (विशेष ड्यूटी), पदक प्रदान करने को नियन्त्रित करने वाले नियमों के नियम 1 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा निम्न प्रकार निर्दिष्ट करती है —

1. तारीख 27 अगस्त, 1969 की अधिसूचना सं० 9/11/69-पी-4 के पैरा (2) में उल्लिखित 'राजस्थान' के सामने निम्नलिखित चौकियां जोड़ी जायेंगी —

छतरगढ़, सतासर, बरसालपुर, रणजीतपुरा, पूगल और खाजूवाला जिला बीकानेर में, जिला गंगानगर में खेखा हकीम, जिला जैसलमेर में शाहगढ़, मियाजलर, साम, रामगढ़, आबा, किशनगढ़, खुइयाला, तथा नेचना और जिला बाड़मेर में ओगला, बावड़ी, भूरान का तला, बिजराढ़, बमनौर, खेबड़ला, गदरा रोड, बालेडा, सिहना, जनापालिया, बाखासर, बिजासर और गगरिया।

2 निम्नलिखित क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में स्थित यूनिट/फार्मेशन में सेवा करने वाले वास्तविक कार्मिक भी पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक और पदक से सबद्ध बार प्रदान किये जाने के लिये पात्र होंगे :—

(क) मेघालय—सीमा से 10 मील या 16 किलोमीटर की परिधि में स्थित सीमावर्ती सभी चौकियां (आउटपोस्ट) पुलिस थाने तथा पुलिस चौकियां।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

(1) मिडिल और साउथ अण्डमान में वे क्षेत्र जिनमें अधिकांश आबादी जरावाओं की है और जो अरक्षित क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

(2) नरकोडम, इण्टरव्यू आइलैण्ड ईस्ट आईलैण्ड, कोण्डुल, तेरेसा, चौरा तथा पिलोमिलो में स्थित पुलिस चौकियां (आउटपोस्ट)।

3 सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग के वे कर्मचारियों जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते है, पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक से सबद्ध बार प्रदान किये जाने के लिये पात्र होंगे —

(क) वे निम्नलिखित एयर-फील्डों तक की 10 उड़ानें कर चुकने के बाद पदक प्रदान किए जाने के लिये पात्र होंगे —

असम में रुपसी, पश्चिम बंगाल में अम्बारी, रामपुरहाट तथा मालदा, अरुणाचल प्रदेश में नार्थ लखीमपुर, बिहार में किशनगंज तथा बलूरघाट, नागालैंण्ड में दीमापुर, जम्मू तथा कश्मीर राजोरी तथा पुंछ, गुजरात में दीसा, खावड़ा, कुमस तथा मिठापुर और राजस्थान में उत्तरलाई, जैसलमेर तथा बीकानेर।

(ख) वे 20 उड़ानें पूरी करने के बाद पदक से सबद्ध पहली बार प्रदान किये जाने तथा 30 अतिरिक्त उड़ानें पूरी करने लेने के बाद पदक से सबद्ध दूसरी बार प्रदान किये जाने के लिये पात्र होंगे।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

चरणजीत सिंह चड्ढा, उप सचिव

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 1976

संकल्प

सं० ए० 12026/2/76-प्रशा०-1(क्ष)—भारत सरकार ने निर्णय किया कि समति के सदस्यों के गठन के संबंध में दिनांक 30 जुलाई, 1976 की फा० स० 331/3/76-टी०आर० यू० के अन्तर्गत जारी किये गये संकल्प द्वारा तथा संशोधित दिनांक 19 जुलाई 1976 की फा० सं० 331/3/76-टी०आर० यू० के अन्तर्गत जारी किये गये संकल्प में निम्नलिखित तारीके से और आगे संशोधन किया जायगा।

क्रम स० 5 के सामने, डा० मनमोहन सिंह, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रविष्टियों को निकालकर निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायगी —

5. श्री एम० एस० मराठे, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प के संशोधन की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1976

संकल्प

सं० ई० 11017/96/76-समन्वय—दिनांक 12 मार्च, 1976 के संकल्प फा स० ई० 11017/35/75-हिन्दी (समन्वय) द्वारा यथा संशोधित दिनांक 29 जनवरी, 1976 के संकल्प फा० सं० ई० 11017/35/75-हिन्दी (समन्वय) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय तथा राजस्व और बैंकिंग विभाग के लिए गठित हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। अब उक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन अब निम्नानुसार होगा —

1	वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2	राजस्व और बैंकिंग मंत्री	सह-अध्यक्ष
3	उप वित्त मंत्री	उपाध्यक्ष
4	श्री गंगा चरण दीक्षित, संसद सदस्य	सदस्य
5	श्री प्रबोध चन्द्र, संसद सदस्य	सदस्य
6	श्री कोडाजी बासप्पा, संसद सदस्य	सदस्य
7	श्री मूल चन्द डागा, संसद सदस्य	सदस्य
8.	श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, संसद सदस्य	सदस्य
9	श्री कल्प नाथ, संसद सदस्य	सदस्य
10	डा० बी० एन० झा, भूतपूर्व कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	सदस्य
11.	श्री पी० वी० नरसिंह राव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
12	डा० रत्नाकर पाण्डेय, प्रचार मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन	सदस्य
13	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार हिन्दी सलाहकार	सदस्य
14.	वित्त सचिव	सदस्य
15	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
16	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
17	सचिव, बैंकिंग	सदस्य
18.	अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड	सदस्य
19	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य
20	अध्यक्ष, भारत का जीवन बीमा निगम	सदस्य
21	अध्यक्ष भारत का विविध बीमा निगम	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
23.	अपर सचिव (प्रशा०) राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष)	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

एम० ए० रंगास्वामी, अपर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 10 दिसम्बर 1976

विषय :—समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अभिकरण (ओशन माईंस एंड टैक्नोलोजी एजेन्सी) (ओसटा)—विभागीय मण्डल का सगठन।

सं० डी० एम० टी०/एम० पी० डी०/2(22)/76—राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीन एक विभागीय मण्डल का महर्ष सगठन करते हैं। इस मण्डल का सगठन इस प्रकार होगा —

(1)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्री	अध्यक्ष
(2)	राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
(3)	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
(4)	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	सदस्य
(5)	सचिव, विदेश कार्य मंत्रालय	सदस्य
(6)	सचिव, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	सदस्य
(7)	सचिव, कृषि अनुसधान एव शिक्षा विभाग	सदस्य
(8)	सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
(9)	सचिव, अतरिक्ष विभाग	सदस्य
(10)	अध्यक्ष, तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग	सदस्य
(11)	महानिदेशक, भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण	सदस्य
(12)	उप नौसेना अध्यक्ष	सदस्य
(13)	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान सस्थान	सदस्य
(14)	महा निदेशक, वेधशालाए	सदस्य
(15)	भारत सरकार के प्रधान जल सर्वेक्षण	सदस्य
(16)	वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
(17)	निदेशक, समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अभिकरण	सदस्य-सचिव

2 इस विभागीय मण्डल के सगठन के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं :—

(क) समुद्र से सबधित कार्य यथा समुद्र विज्ञान, समुद्र वायु मण्डल, समुद्र जल, समुद्र तल और समुद्रीय पटल का नियोजन और समन्वय करना और जहा जरूरी हो उसके लिए वित्तीय साधन जुटाना, जिससे कि उसके भौतिक, रासायनिक भू-गर्भ वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और अन्य सबधित पहलुओ का अध्ययन किया जा सके ,

(ख) देश में जहा भी ऐसी सुविधाए उपलब्ध हैं, उनके इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सबधित जानकारी के सकलन, भण्डारन, उपयोजन, प्रक्रिया, निवर्चन और प्रसार के लिए विभिन्न अभिकरणो के बीच समन्वयक के रूप मे कार्य करना ,

(ग) ऊपर (क) और (ख) में निर्दिष्ट कार्य के लिये आवश्यक उपकरणो पर अनुसधान और विकास तथा जनशक्ति प्रशिक्षण का नियोजन और समन्वय करना और जहां आवश्यक हो उसके लिये वित्तीय साधन जुटाना ;

(घ) सबधित अभिकरणो के उपक्रम पर तथा इसके अपने उपक्रम पर समुद्रीय ससाधन के अध्ययन, अन्वेषण, उपयोग और सधारण की सुविधाओ के लिये, जहां आवश्यक हो, वित्तीय साधन जुटाना, उनकी स्थापना करना और उन्हें परिचालित करना,

(च) समुद्र विज्ञान के क्षेत्र मे प्राप्त जानकारी की सुरक्षा करना, विभिन्न सस्थाओ (या देश मे अनधिकृत सस्थाओ को) इसके प्रसार का विनियमन करना और समुद्री अन्वेषण के लिये आवश्यक आज्ञा पत्र प्राप्त करना।

साथ ही यह समन्वयक अभिकरण के रूप मे अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, इस बात का ध्यान रखेगा कि अनुसधान और अन्वेषण के क्षेत्र मे जो सुविधाए पहले से उपलब्ध हैं, उनकी नये सिरे से स्थापना न की जाए।

के० वी० महालिंगम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1976

सकल्प

स० एफ्स, 19020/8/76-डी० एड एम० एस०—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), भारत सरकार ने एलोपैथिक दवाइयों के लिये एक कृषि-जडी बूटी सम्बन्धी आधार का जो देश के लिये आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विकास करने के बारे में सलाह देने के लिये एक लघु दल को गठित करने का निर्णय किया है। इस दल की सरचना इस प्रकार होगी :—

1	श्री जे० एस० बाली, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	श्री पी० एच० वैष्णव, संयुक्त सचिव, (कार्य प्रशासन) योजना आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
3	डा० एस० सी० दास, निदेशक, भारतीय औषधीय पादप का केन्द्रीय सगठन, लखनऊ ।	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र गुप्त, परियोजना समन्वयक, मैडिकल और ऐयरनाटिक्स प्लाट्स, भारतीय कृषि, अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
5	डा० एस० पी० भट्टाचार्य, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
6	डा० पी० आर० गुप्ता, सलाहकार (औषधि) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
7	डा० जी० व्यागराजन, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशाला, जोरहाट।	सदस्य
8	डा० नित्यानंद, निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसधान संस्थान, लखनऊ ।	सदस्य
9.	डा० पी० एन० वी० कुरूप, सलाहकार भा० (चि० प०), स्वास्थ्य विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
10	डा० एम० एस० गठोस्कर, औषधि नियंत्रक (भारत) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय

यह दल

1 एलोपैथिक औषधियों, और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति सबधी दवाइयो को तैयार करने के लिये आवश्यक औषधीय पादपों की पहचान करेगा ।

2 इन औषधीय पादपो की आगामी 10 वर्षों मे अपने देश मे और विदेशो मे निर्यात करने सबधी आवश्यकताओ का अनुपात लगाएगा ।

3 औषधीय पादपो को उठाने की मौजूदा सुविधाओ का निरीक्षण करेगा ।

4 व्यापार योग्य जडी बूटियो के कच्चे माल के आधार का विकास करने के लिये एक योजना बनाएगा और अपने देश मे और विदेशो में निर्यात के लिये एलोपैथिक और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियो, दोनो की दवाइयो बनाने के काम मे उसका सम्बन्ध जोडेगा ।

सामान्य

इस दल का कार्यकाल एक वर्ष होगा ।

सदस्यो को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा किन्तु वे इस दल की बैठको मे भाग लेने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरो के अनुसार अपने-अपने कार्यालयो/सस्थाओ से, जिनमे वे नियुक्त है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होगे ।

इस दल को क्रियाविधि सबधी अपने नियमो को बनाने और किसी विशेष कार्य के लिये समय-समय पर किसी सदस्य को चुनने का अधिकार होगा ।

आदेश

आदेश है कि इस सकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारो और भारत सरकार के सभी मत्रालयो और विभागो को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

श्रवण कुमार, सयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर, 1976

सकल्प

स० टी० 14011/8/76-सी० एंड सी० डी०/एम० ए० एल०—भारत सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य के तीव्र और कारगर कार्यान्वयन के हित मे और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसधान, प्रशिक्षण कार्यकलाप, मूल्यांकन, सभार तत्र (लाजिटिक्स), प्राप्ति सप्लाई आदि के उचित और शीघ्र बढ़ावा देने के सम्बन्ध मे दिन-प्रतिदिन निर्णय लेने और आवश्यक वित्तीय मजूरियां देने के लिये एक कारगर और तेज कार्य पद्धति तैयार की जानी चाहिये । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि मलेरिया उन्मूलन, के क्षेत्र से और इस कार्यक्रम के अपेक्षित अन्य मदो से सबधित परियोजनाओ पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन किया जाए ।

इस बोर्ड मे निम्नलिखित होगे —

1 सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय	अध्यक्ष
2 सयुक्त सचिव (श्रा), स्वास्थ्य विभाग और परिवार नियोजन मत्रालय	सदस्य
3. सयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य	सदस्य
4 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
5 निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	सदस्य-सचिव

बोर्ड को इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञो जैसे निदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसधान परिषद् को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

2. इस बोर्ड के पास निम्न प्रकार के मामले भेजे जायेंगे :—

(क) मलेरिया के क्षेत्र मे 5 लाख रुपये से अधिक की लागत की प्रायोगिक नवीन परियोजनाओ से संबधित योजनाए (5 लाख रुपये के लागत तक की योजनाओ) को सचिव अपनी शक्तियो के अन्तर्गत मजूरी दे सकते है ।

(ख) राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम सबधी अन्य योजनाए बशर्ते कि इनके लिए बजट मे व्यवस्था की गई हो ।

(ग) यह बोर्ड मलेरिया के क्षेत्र की आप्रेशनल अनुसधान सबधी कार्यकलापों की समीक्षा करेगा और उनमे समन्वय भी रखेगा ।

(घ) कोई भी अन्य कार्य जो बोर्ड को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सौपा जाए ।

3 यह बोर्ड वित्तीय संबधी सभी शक्तियो का प्रयोग करेगा ।

4 इस बोर्ड को समय-समय पर यथासशोधित वित्त मत्रालय के 10-4-1975 के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ-10(13) ई-कोआर्ड/75 मे मत्रालयो को प्रदत्त अधिक वित्तीय शक्तियो के अन्तर्गत ऊपर पैरा 2 के मदो के बारे मे निर्णय लेने और बजट प्रावधानो के अन्तर्गत वित्तीय मजूरिया देने की पूरी शक्तियां होगी ।

5 बोर्ड की बैठक मे विचारार्थ कार्य सूची को इस की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यो को भेज दी जाएगी । बैठक में किसी भी मामले पर बोर्ड की असहमति होने की स्थिति मे उस मामले को निर्णय के लिये सबधित मत्रालयो के मत्रियो के पास भेजा जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मत्रालयो/विभागो को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प भारत के राजपत्र मे सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

आनन्द प्रकाश अग्नी, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

RULES

New Delhi, the 1st January 1977

No 12/19/76-CS II —The rules for a competitive examination to be held by the Subordinate Services Commission (Cabinet Secretariat) (Department of Personnel & Administrative Reforms), New Delhi, in April, 1977 for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade D of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Grade III of Stenographers' Sub-cadre of Indian Foreign Service (B) and posts of Grade III Stenographer in the Department of Parliamentary Affairs are published for general information.

2 The number of vacancies in various Services to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Subordinate Services Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scherduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli)

Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Oder, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

3. The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission, in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The date on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Subordinate Services Commission.

4 Any permanent or temporary regularly appointed officer who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in Grade D of the Stenographers' Service corresponding to their Clerical Service only i e. LDCs/UDCs of C.S C S. will be eligible for competing for vacancies in Grade D of the CSSS only, L.D Cs/U.D.Cs of A F.H.Q. Clerical Service will be eligible for competing for vacancies in Grade D of A F H.Q. Stenographers' Service only, officers of Grade VI or Grade V of I F.S (B) will be eligible for competing for vacancies in Grade III of the Stenographers' Sub-cadre of I F S.(B) only and LDCs/UDCs of the Department of Parliamentary Affairs will be eligible for competing for vacancies of Grade III Stenographer, in that Department only.

1. Length of Service :—He should have, on the 1st January, 1977, rendered not less than two years approved and continuous service in any one of the following four categories :—

Category I . The Lower Division Grade or Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Note 1.—The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Note 2 —Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer, if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clercial Service for the time being.

Note 3 Regularly appointed officer to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

Category II : The Lower Division Grade or Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service

Note 1 :—The limit of two years of approved and continuous service shall also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service.

Note 2 :—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if such officer continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service for the time being.

Category III : Grade VI and/or Grade V of the Indian Foreign Service, Branch (B).

Note 1.—Officers of Grade VI or Grade V of the Indian Foreign Service Branch (B) and those who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible This also applied to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in Grade VI or Grade V of the Indian Foreign Service Branch (B) for the time being on the crucial date

Category IV . Lower Division Clerks/Upper Division Clerks in the Department of Parliamentary Affairs.

Note 1 . The limit of two years approved and continuous service shall also apply if the total reckonable service of a candidate is patly in the Lower Division Grade or Upper Division Grade in the Department of Parliamentary Affairs.

Note 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade in the Department of Parliamentary Affairs who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer, if he continues to have a lien in the Clerical Service in the Department of Parliamentary Affairs.

2. Age : He should not be more than 45 years of age on the 1st January 1977 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January 1932.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable —

(i) up to a maximum of five years if a candidate belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* desplaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June; 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilites of 1971 and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6 The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

7 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in paragraph 5 of the Notice.

9 Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means or;

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade D, Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade D, Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B)—Grade III and in posts of Grade III Stenographer in the Department of Parliamentary Affairs.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Subordinate Services Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for selection to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination The number of persons to be appointed to Grade D or Grade III of the Services on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D on the basis of his performance in this examination as a matter of right

12 The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

13. Success in the examination confers no right to selection unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service or Armed Forces Headquarters' Clerical Service or Indian Foreign Service (B), General Cadre or in clerical posts in the Department of Parliamentary Affairs, will not be eligible for appointment on the results of this examination

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX

Candidates will be given two dictation tests in English or in Hindi one at 100 words per minute for seven minutes and another at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 50 and 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 60 and 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

Note 1.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English stenography, and vice versa, after their appointment.

Note 2.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to take the Stenography Tests in Hindi may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

2 Candidates who satisfy the minimum qualifying standard as may be fixed by the Commission in their discretion, in the dictation at 100 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in dictation at 80 words per minute, persons in each group being arranged *inter-se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate.

3. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd December 1976

No 9/78/74-GPA.II(III).—In partial modification of this Ministry's notification No. 9/11/69-PIV dated the 27th Aug. 1969 and in accordance with Rule 1 of the Rules governing the award of the Police (Special Duty) Medal, notified in the Gazette of India on 3rd March, 1962, under the President's Secretariat's Notification No. 30-Press/62 dated 23rd February 1962, the Central Government hereby specifies as under :—

(1) Against "Rajasthan" mentioned in para (2) of the notification No 9/11/69-PIV dated 27th August, 1969, the following Outposts shall be added :—

The Outposts of Chattargarh, Sattasar, Barsalpur, Ranjitpura, Pugal and Khajuwala in Bikaner Distt., Lakha Hakim in Ganganagar Distt., Sahagarh, Miazlar, Sam, Ramgarh, Khaba, Kishangarh, Khuiyala and Nachna in Jaisalmer Distt. and Ogalla, Bawari, Bhuranka Tala, Bijrad, Bamnor, Khebdala, Gadra Road, Balada, Sihna, Janpalia, Bakhasar, Bijjasar and Gagariya in Barmer District.

(2) The service on the effective strength of Unit/Formtion located in the geographical limits of the following areas will also be eligible for the award of Police (Special Duty) Medal and Bar(s) to the Medal :—

(a) *Meghalaya* —All border outposts, Police Stations and Police outposts located within 10 miles or 16 Kilometers from the border.

(b) *Andeman & Nicobar Island* :—

(i) The areas predominently inhabited by the Jarawas in Middle and South Andeman and declared as reserved areas;

(ii) Police outposts located in Narcondum Interview Island, East Island, Kondul, Terassa, Chowra and Pillomillow

(3) Such personnel of the Air Wing of the Border Security Force shall be eligible for the award of the Police (Special Duty) Medal and Bar(s) to the Medal who fulfil the following conditions :—

(a) They will be eligible for award of the Medal after they have rendered service of 10 sorties to the following Air fields :—

Rupsi in Assam, Ambari, Rampurhat and Malda in West Bengal, North Lakhimpur in Arunachal Pradesh, Kishanganj and Balurghat in Bihar, Dimapur in Nagaland, Rajouri and Poonch in Jammu and Kashmir, Deesa, Junagadh, Khavda, Dumas and Mithapur in Gujarat and Uttarlai, Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan.

(b) They would be eligible for first Bar to the Medal after completion of 20 sorties and to the second Bar to the Medal after completion of 30 additional sorties. These orders take effect from the date of their issue

C. S. CHADHA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

New Delhi, the 8th December 1976

RESOLUTION

F. No A. 12026/2/76-Ad I(JHA) —The Government of India have decided that the Resolution issued under F. No. 331/3/76-TRU dated the 19th July, 1976 as amended by the Resolution issued under F. No. 331/3/76-TRU dated the 30th July, 1976 shall be further modified in regard to the composition of the Members of the Committee in the following manner—

Against S. No. 5, the entries "Dr. Manmohan Singh, Chief Economic Adviser to the Government of India," shall be deleted and the following shall be inserted—"5. Shri S S Marathe, Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices"

ORDER

Ordered that a copy of the amendment to the Resolution be communicated to all concerned.

M. A. RANGASWAMY, Additional Secy.

(REVENUE WING)

New Delhi, the 14th December 1976

F. No E-11017/96/76-Coord.—It has been decided to enlarge the membership of the Hindi Salahkar Samiti constituted for the Ministry of Finance and the Department of Revenue and Banking under Resolution F. No. 11017/35/75-Hindi(C), dated the 29th January, 1976 and as amended by Resolution F. No E-11017/35/75-Hindi(C), dated the 12th March, 1976 and No E-11017/96/76-Coord, dated the 1st November, 1976 Accordingly the said Hindi Salahkar Samiti shall now have the following composition :—

Chairman

1. Finance Minister.

Vice-Chairman

2 Minister of Revenue & Banking.

Deputy Chairman

3. Deputy Minister of Finance.

Members

4. Shri G C Dixit, M.P.

5. Shri Prabodh Chandra, M.P.

6 Shri Kondaji Basappa, M.P.

7 Shri M. C. Daga, M.P.

8 Shri Devendra Nath Dwivedi, M.P.

9 Shri Kalp Nath, M.P.

10 Dr. V. S. Jha,

Former Vice Chancellor of the Banaras Hindu University.

11 Shri P. V. Narasimha Rao,
Former Chief Minister of Andhra Pradesh.

12. Dr. Ratnakar Pandey, Prachar Mantri, Hindi Sahitya Sammelan.

13 Secretary, Rajbhasha Vibhag and Hindi Adviser to the Government of India.

14. Finance Secretary.

15 Secretary, Economic Affairs.

16 Secretary, Department of Expenditure.

17. Secretary, Banking

18. Chairman, Central Board of Excise and Customs.

19 Chairman, Central Board of Direct Taxes.

20 Chairman, Life Insurance Corporation of India.

21. Chairman, General Insurance Corporation of India.

22 Joint Secretary, Department of Official Language.

Member-Secretary

23. Additional Secretary (Admn.) Department of Revenue & Banking (Revenue Wing).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India and all Ministers and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. A. RANGASWAMY, Additional Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 10th December 1976

SUBJECT : Ocean Science and Technology Agency (OSTA)—Constitution of Departmental Board.

No. DST/SPD/2(22)/76.—The President is pleased to constitute a Departmental Board under the Department of Science and Ttechnology with the following composition :—

Chairman

(1) Cabinet Minister for Science & Technology.

Vice-Chairman

(2) Minister of State.

Members

(3) Secretary, Department of Science & Technology

(4) Scientific Adviser to the Defenc Minister

(5) Secretary, Ministry of External Affairs

(6) Secretary, Ministry of Shipping and Transport.

(7) Secretary, Department of Agricultural Research and Education.

(8) Secretary, Department of Education.

(9) Secretary, Department of Space.

(10) Chairman, Oil & Natural Gas Commission.

(11) Director-General, Geological Survey of India.

(12) Vice-Chief of Naval Staff.

(13) Director, National Institute of Oceanography.

(14) Director-General of Observatories.

(15) Chief Hydrographer to the Government of India

(16) Financial Adviser, Department of Science and Technology.

Member-Secretary

(17) Director, Ocean Science & Technology Agency.

2 The following are the broad objectives for constitution of the Departmental Board :—

(a) Plan and coordinate, and where necessary, financially support work relating to the ocean comprising oceanography, ocean atmosphere, oceanic waters, the ocean floor and oceanic crust with a view to study physical, chemical, geological, biological, environmental and related aspects;

(b) Ensure the optimum utilization of facilities, wherever they may exist in the country, and act as an interface among various agencies for collection, storage, retrieval, processing, interpretation and dissemination of data pertaining to ocean science and technology,

(c) Plan, coordinate and where necessary, financially support R&D on equipment needed for work referred to in (a) & (b) above and manpower training;

(d) Where necessary, finance, set up and operate facilities for the study, exploration, exploitation and conservation of marine resources at the instance of agencies concerned and on its own initiative;

(e) Safeguard information acquired in the field of oceanography; regulate its dissemination to various bodies (or unauthorised ones in the country) and obtain necessary clearance for marine exploration.

Further, in the discharge of its functions as the coordinating agency, it will take care to avoid any duplication of facilities for research and investigation.

K. V MAHALINGAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 15th December 1976

RESOLUTION

No X 19020/8/76-D&MS.—The Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) have decided to set up a small group for advise on the development of an agro-herbal base for allopathic medicines, which is of considerable economic and industrial value to the country. The composition of the group will be as under :—

Chairman

1 Shri J. S. Bali, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Planning New Delhi.

2 Shri P. H Vaishnav, Joint Secretary (Programme Administration) Planning Commission, New Delhi.

Members

3. Dr S. C Dutta, Director, Central Indian Medicinal Plant, Organisation, Lucknow.

4. Shri Rajendra Gupta, Project Coordinator, Medical and Aeronatics Plants, ICAR New Delhi.

5. Dr S P. Bhattacharya, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

6. Dr P. R. Gupta, Adviser (Drugs), Ministry of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.

7. Dr. G Thyagarajan, Director, Regional Research Laboratory, Jorhat.

8 Dr. Nitya Nand Director, Central Drugs Research Institute, Lucknow.

9 Dr. P N. V. Kurup, Advisor (ISM), Department of Health New Delhi

Member-Secretary

10 Dr. S S. Gothoskar, Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services, New Delhi.

Terms of reference

The Group will be expected :—

(1) To identify the medicinal plants required for the manufacture of allopathic drugs and medicines belonging to the indigenous system of medicines.

(2) To assess the requirements of these medicinal plants for the next 10 years for both domestic use and export.

(3) To review the existing facilites for cultivation of medicinal plants.

(4) To draw up a plan for developing a commercially viable herbal raw material base and interlinking it with the manufacture of drugs in both allopathic and indigenous systems of medicines for domestic use and export.

General

The tenure of the Group shall be one year.

The members will not be paid any remuneration but they shall be entitled to T.A. and D.A. for attending meetings of the Group in accordance with the rates fixed by the Government of India from time to time from the respective offices/institutions where they are employed.

The Group shall have the power to frame its own rules of procedure and coopt any other member from time to time for any specific purpose.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution shall be communicated to all State Governments and all Ministries and Departments of the Government of India.

Also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SHRAVAN KUMAR, Jt Secy.

New Delhi, the 1st December 1976

RESOLUTION

No. T. 14011/8/76-O&OD/MAL.—The Government of India consider that in the interest of the speedy and effective implementation of the National Malaria Eradication Programme and for proper and expeditious promotion of research, training activites, evaluation, logistics, procurement supply etc. under the Programme, an effective and speedy mechanism should be evolved for taking day-to-day decisions and giving necessary financial sanctions. It has, accordingly, been decided that for considering and clearing projects in the field of Malaria Eradicaion and other items, required for the Programme, a high powered board should be constituted.

The Board shall consist of the following :—

Chairman

(i) Secretary, Ministry of Health & Family Planning.

Members

(ii) Joint Secretary(s), Department of Health.

(iii) Joint Secretary (Financial Adviser) Ministry of Health and Family Planning.

(iv) Director General of Health Services.

(v) Director, National Institute of Communicable Diseases.

Member-Secretary

(vi) Director, National Malaria Eradication Programme.

The Board shall have powers to co-opt other experts in the field, e.g., Director General, Indian Council of Medical Research.

2 The following types of cases shall be referred to the Board :—

(a) Schemes relating to the experimental/innovative projects in the field of Malaria costing more than Rs. 5 lakhs (Schemes costing upto Rs. 5 lakhs may be sanctioned by Secretary under his own powers).

(b) Other schemes relating to the National Malaria Eradication Programme subject to the budget allocations.

(c) The Board shall also review and co-ordinate operational reseach activities in the field of malaria.

(d) Any other work which may be entrusted to the Board by the Government from time to time.

3. The Board shall exercise all the finnacial powers

4. The Board shall have full powers of the decision making and granting financial sanction within the budget provisions in respect of items at para 2 above within the enhanced financial powers delegated to Ministries *vide* Ministry of Finance Office Memorandum No. F 10(13) E-Coord/75 dated 10-4-1975, as amended from time to time

5 The agenda to be considered at the meeting of the Board will be circulated to the members of the Board at least a week in advance of its meeting In the case of disagreement on any matter in the Board, the matter will be referred to the Ministers in the respective Ministries for decision.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Department of the Government of India.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

ANAND PRAKASH ATRI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976